



2026:AHC-LKO:20199

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ**  
**आपराधिक पुनरीक्षण संख्या-773 वर्ष 2024**

किशोर एक्स उनके भाई वाई के माध्यम से

.....पुनरीक्षणकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के ज़रिए एवं 3 अन्य

.....विपक्षी(ओं)

पुनरीक्षणकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : भूपाल सिंह, मनोज कुमार सिंह

विपक्षी(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या – 13**

**माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया**

1. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।
2. निम्नलिखित मुख्य राहत की मांग करते हुए वर्तमान पुनरीक्षण दायर की गई है: -

"इसलिए, यह सबसे सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय 2023 की आपराधिक अपील संख्या 48 (दीपक कुमार मौर्य बनाम यूपी राज्य और अन्य) में विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पोक्सो बहराईच द्वारा पारित दिनांक 18.01.2024 के आदेश को रद्द करने की कृपा करें, जिन्होंने दिनांकित आदेश की पुष्टि की है 06.06.2023 को किशोर न्याय बोर्ड बहराईच द्वारा अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग किए बिना पारित किया गया, और न्याय के हित में संशोधनवादी के पुनरीक्षण की अनुमति दी गई"

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. मुकदमा अपराध संख्या 394/2019 से उत्पन्न विविध मामले संख्या 14/12ए/2023 में किशोर न्याय बोर्ड, बहराइच (संक्षेप में "जे.जे.बी.") द्वारा धारा-377 भा०ना०सं० और धारा-3/4 पाँक्सो अधिनियम, पुलिस स्टेशन-मोतीपुर, जिला-बहराइच के तहत पारित चुनौती के अधीन आदेश दिनांक 06.06.2023 के तहत, जे.जे.बी. ने अलका पांडे, आपराधिक क्लिनिकल मनोचिकित्सक और डॉ. विजित जयसवाल, मनोचिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, पाया कि पुनरीक्षणकर्ता का मुकदमा बाल न्यायालय द्वारा परीक्षित किया जाना चाहिए। दिनांक 06.06.2023 के आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"पत्रावली पेश हुयी। किशोर का जमानत प्रार्थनापत्र पर विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की बहस सुनी गयी।

उपरोक्त वर्णित मामले में आवेदक / सरंक्षक भाई द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 07-04-2023 को इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है। कि दीपक कुमार मौर्या पुत्र स्व: नरायन सिंह निवासी खड़िया थाना मोतीपुर जनपद बहराइच मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में किशोर निर्दोष है उसने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है महज रंजिशन फंसा दिया गया है और कथन किया गया है कि किशोर को उचित जमानत मुचलका पर रिहा फरमाया जाये।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा यह आख्यों की गयी है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय से आख्यों प्राप्त है कि अ०स० 394/19 धारा-377. भा०द०स० व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मोतीपुर में प्रार्थी / अपचारी निरुद्ध है यदि अपचारी रिहा होता है तो पुनः अपराधियों के संगत में पड़कर पुनः अपराध कर सकता है अतः जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध है।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जिला प्रोवेशन अधिकारी ने अपनी आँखों में कथन किया है कि किशोर के ग्राम के लोगों ने बताया कि किशोर पीड़िता, के साथ दुराचार के मामले में लगभग 04 वर्षों से निरुद्ध है किशोर में अनुशासन की कमी एवं शिक्षा का अभाव प्रतीत होता है किशोर का कोई भी पूर्व का अपचारिता का इतिहास जानकारी में नहीं आया। किशोर से सामुदायिक कार्यों का लिया जाना तथा किशोर को शिक्षित कर, किशोर में सुधार लाया जाना एक उपाय हो सकता है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि किशोर दीपक कुमार मौर्या अपराध संख्या 394/2019 धारा 377, भा०द०स० व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना मोतीपुर जनपद बहराइच तथा माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो 'एक्ट) बहराइच द्वारा दिनांक 30-10-2021 उसे किशोर घोषित किया जा चुका है तथा घटना के समय बालक की उम्र 16 वर्ष 03 माह 24 दिन निर्धारित किया गया हैं।

जिला प्रोबेशन अधिकारी आख्यों से उल्लेख है कि किशोर का कोई पूर्व का अपचारिता का रिकार्ड जानकारी में नहीं आया है किशोर की भावनात्मक, शारीरिक बुद्धिमत्ता आयु के अनुरूप सामान्य है तथा उसकी सामाजिक स्थिति दयनीय है तथा किशोर में अनुशासन की कमी का अभाव है।

मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किशोर न्याय परिषद इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि यदि उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो किशोर पुनः उसी गांव घर समाज में जायेगा 'व पुनः अपराधियों के सहचर में आ सकता है और जमानत पर रिहा किये जाने से किशोर, को नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक स्थिति खतरे में पड़ने की सम्भावना है तथा किशोर के न्यायहित में किशोर की

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करायी गयी। किशोर न्याय परिषद इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किशोर का \* प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार 'किये जाने योग्य नहीं है।

### आदेश

किशोर दीपक कुमार मौर्या का जमानत प्रार्थना पत्र दिनांकित 07-04-2023 अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या 394/2019 धारा-377. भा०द०स० व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना मोतीपुर जनपद बहराइच निरस्त किया जाता है तथा किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 की धारा 10 क के अन्तर्गत गाठित मनौचिकित्सक / मनौवैज्ञानिक कमेटी के द्वारा किशोर न्याय (बालको की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत प्रारम्भिक निर्धारण सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित की गयी तथा किशोर द्वारा किये गये जदयन्य अपराध की दशा में बोर्ड द्वारा प्रारम्भिक निर्धारण कार्यवाही के पश्चात किशोर दीपक कुमार मौर्या का व्यस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तथा मामले के विचारण व अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली बालक न्यायालय को अन्तरित किया जाये।"

4. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 48/2023 में विद्वान विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, लखनऊ (संक्षेप में "अपीलीय न्यायालय") द्वारा पारित दिनांक 18.01.2024 को चुनौती के अधीन आदेश के तहत, अपीलीय न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और जेजेबी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2023 की पुष्टि की।

5. पारित आदेश के अवलोकन से संकेत मिलता है कि जेजेबी द्वारा की गई टिप्पणी से संबंधित मुद्दा कि पुनरीक्षणकर्ता का मुकदमा बाल न्यायालय द्वारा परिक्षित किया जाना था, अपीलीय न्यायालय द्वारा उचित पाया गया। दिनांक 18.01.2023 के आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

#### अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"दाण्डिक अपील के निस्तारण के प्रयोजन से अभियोजन कथानक के सुसंगत तथ्य यह हैं कि दिनांक 09.06.2019 को समय करीब 09:00 बजे सुबह वादी मुकदमा का करीब 04 वर्षीय लड़का (पीडित) अपने दरवाजे पर खेल रहा था कि उसी समय उसके पड़ोस के दीपक पुत्र स्व० नरायन ने उसके उक्त लड़के को बुलाकर अपने घर के अन्दर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसका उक्त लड़का रोता बिलखता घर वापस आया और उक्त घटना से अवगत कराया, जिसके गुदा से खून बह रहा था। पूरी जानकारी के बाद अपने उक्त लड़के को साथ लेकर सूचना को आया है। अतः मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी। तहरीर प्रथम सूचक के आधार पर मुकदमा अपराध सं०- 394/2019, अन्तर्गत धारा 377 भा०दं०सं० व धारा- 5(जी)/6 पॉक्सो ऐक्ट पंजीकृत किया गया, जिसमें बाल अपचारी /अपीलार्थी नामित है।

7- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान सम्यक विवेचना विवेचक द्वारा मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 एवं पॉक्सो ऐक्ट की धारा- 3/4 के अन्तर्गत बाल अपचारी/अपीलकर्ता के विरुद्ध पॉक्सो न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) द्वारा दिनांक 19.08.2019 को संज्ञान लिया जा चुका है।

बाल अपचारी/अपीलकर्ता द्वारा किशोर अपचारी घोषित किये जाने वास्ते आवेदन पत्र अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त की आयु निर्धारण तथा किशोर अपचारी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2021 को अपीलकर्ता/बाल अपचारी की उम्र बरवक्त घटना 16 वर्ष 03 माह 24 दिन की होना पाते हुए उसे विधि का उल्लंघन करने वाला बालक किशोर घोषित किया गया। तदोपरान्त अपीलकर्ता/बाल अपचारी द्वारा किशोर न्याय परिषद के समक्ष

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-12 किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 06.06.2023 को किशोर न्याय परिषद द्वारा निरस्त करते हुए विद्वान किशोर न्याय परिषद बहराइच द्वारा किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 की धारा-10 (क) के अन्तर्गत गठित मनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक कमेटी के द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत प्रारम्भिक निर्धारण सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित किये जाने तथा किशोर द्वारा किये गये जघन्य अपराध की दशा में बोर्ड द्वारा प्रारम्भिक निर्धारण कार्यवाही के बाद किशोर दीपक कुमार मौर्या का वयस्क के रूप में विचारण करने व अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली बालक न्यायालय को अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर यह वर्तमान दाण्डिक अपील बाल अपचारी/अपीलकर्ता दीपक कुमार मौर्या की ओर से योजित की गयी है।

8- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि घटना दिनांक 09.06.2019 समय 09:00 बजे के संबंध में दिनांक 09.06.2019 को ही समय 12:26 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 377 भा०द०सं० व 5(जी)/6 पॉक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत दर्ज किया गया है, जिसमें बाल अपचारी अपीलकर्ता द्वारा प्रथम सूचक के नाबालिग लड़के (पीड़ित) के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म (अप्राकृतिक मैथुन) किया जाना कहा गया है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा पॉक्सो ऐक्ट की धारा-5(जी)/6 का विलोपन करके धारा-3/4 पॉक्सो ऐक्ट की वृद्धि की गई है। घटना के समय बाल अपचारी/अपीलकर्ता की उम्र 16 वर्ष 03 माह 24 दिन अपीलीय न्यायालय द्वारा पायी गयी तथा उक्त आदेश दिनांकित 30.10.2021 में अपीलीय न्यायालय द्वारा धारा 15 किशोर अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अनुसार

**अस्वीकरण:**

*अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

उसे मानसिक व शारीरिक रूप से सक्षम पाते हुये बाल अपचारी दीपक कुमार मौर्या का विचारण किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

9- किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 की धारा-10 (क) में यह परिभाषित किया गया कि बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों का प्राथमिक निर्धारण-

(i) बोर्ड, प्रथम दृष्टया यह अवधारित करेगा कि क्या बालक की आयु सोलह वर्ष या उससे अधिक है; यदि नहीं तो बोर्ड, अधिनियम की धारा-14 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(ii) जघन्य अपराधों के प्राथमिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ बोर्ड, मनोवैज्ञानिकों या मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे विशेषज्ञों का पैनल उपलब्ध करा सकता है, जिनकी सहायता नेक बोर्ड ले सकता हो या बोर्ड उनसे अलग से भी संपर्क कर सकता है।

(iii) प्राथमिक निर्धारण करते समय बालक के निर्दोष होने की उपधारणा की जाएगी, यदि अन्यथा सिद्ध न हुआ हो।

(iv) जहाँ बोर्ड, अधिनियम की धारा-15 के अधीन प्राथमिक निर्धारण के बाद यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक पर विचारण वयस्क के रूप में किए जाने की आवश्यकता है तो बोर्ड ऐसे आदेश के कारण समनुदेशित करेगा और आदेश की प्रति उस बालक को तुरंत दी जाएगी।

उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा सम्यक रूपेण विचारोपरान्त में इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा तथ्यों एवं साक्ष्यों के

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अनुरूप विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं तात्त्विक अनियमितता नहीं कारित की गयी है। इसलिये उक्त आदेश में किसी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, बहराइच द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 06.06.2023 जिसमें किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 की धारा-10 (क) के अन्तर्गत गठित प्रतिलिपि मनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक कमेटी के द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत प्रारम्भिक निर्धारण सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित किये जाने तथा किशोर द्वारा किये गये जघन्य अपराध की दशा में बोर्ड द्वारा प्रारम्भिक निर्धारण कार्यवाही के पश्चात् किशोर दीपक कुमार मौर्या का वयस्क के रूप में पायालय व विचारण करने व अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली बालक न्यायालय को अन्तरित किये जाने का आदेश पारित किया गया है, तनुसार पुष्ट होने योग्य है तथा प्रस्तुत उपरोक्त अपील निरस्त होने योग्य है।

### आदेश

बाल अपचारी / अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या- 48/2023 दीपक कुमार मौर्या प्रति राज्य उ०प्र० आदि अपास्त की जाती है। बमुकदमा प्रकीर्ण जमानत प्रार्थनापत्र सं० 14/12ए/2023 सरकार बनाम दीपक कुमार मौर्या, मु०अ०सं० 394/2019, धारा 377 भा०द०सं० व 3/4 पॉक्सो ऐक्ट, थाना मोतीपुर, जनपद बहराइच में विद्वान किशोर न्याय परिषद, बहराइच द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 06.06.2023 पुष्ट किया जाता है।"

6. उपरोक्त आदेशों को मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी गई है कि 2015 के अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में शक्ति का प्रयोग तीन महीने की अवधि के भीतर किया जा सकता है।

### अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. विद्वान एजीए ने वर्तमान पुनरीक्षण का विरोध करते हुए कहा कि 2015 के अधिनियम की धारा 14 के तहत निर्धारित अवधि अनिवार्य प्रकृति की नहीं है।
8. उपरोक्त पर विचार किया तथा अभिलेख का अवलोकन भी किया।
9. मामले के उपरोक्त पहलू पर इस न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसकी अपनी मां के माध्यम से विधि का उल्लंघन करने वाला बालक बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य; 2024 (8) एससीसी 473 और राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार) बनाम एमएस एक्स एवं अन्य; 2023 ऑनलाइन एससी 5603 के मामले में की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया।
10. उपरोक्त पर उचित विचार करने पर, इस न्यायालय को वर्तमान पुनरीक्षण में कोई बल नहीं मिला। तदनुसार इसे **खारिज** किया जाता है।

मार्च 19, 2026

प्रीति/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।